

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 4th April, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)


New Delhi the 19th April, 1995

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O. 878(E) dated 30th November, 1992 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3 the Integrated Rural Development Project at District Pune, Maharashtra of Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, 55/4, University Road, Aundh, Pune - 411 007 as an eligible project or scheme for a period of three assessment years commencing from the assessment year 1993-94;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of ~~two~~^{three} years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 hereby specifies the the Integrated Rural Development Project at District Pune, Maharashtra of Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, 55/4, University Road, Aundh, Pune - 411 007 at the estimated cost of rupees one crore eighteen lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from the assessment year 1996-97.



(V.K. Sehgal)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9741
F.No.NC-4/95

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 4 अप्रैल, 1995 में प्रकाशनाथ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 4 अप्रैल, 1995

अधिसूचना

का० आ० (अ)- केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 878(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1992 द्वारा क्रम संख्यांक 3 में जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, आघ, पुणे-411007 की जिला पुणे, महाराष्ट्र में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना को, निर्धारण वर्ष 1993-94 से आरम्भ होने वाली तीन निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट की थी;

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक बढ़ाये जाने की संभावना है:

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम का निष्पादन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और सिफारिश की है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था, 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, आघ, जिला पुणे-411007, का जिला पुणे, महाराष्ट्र में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना को एक करोड़ अठारह लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर, निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ से होने वाली तीन निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट करती है।

(वी० के० सहगल)

उप सचिव, भारत सरकार

No.
F.No. NC-4/95